

न्यायालय उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद-गाजीपुर।

मु0नं0- 258

मौजा- दामोदरपुर

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0

परगना-जहूराबाद, जिला-गाजीपुर

श्री रामचरित विन्ध्याचल आदर्श शिक्षा (न्यास) अकोल्ही उर्फ विशुनपुरा, पाण्डेयपुर राधे, गाजीपुर

बनाम

उ0 प्र0 सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी श्री रामचरित विन्ध्याचल आदर्श शिक्षा (न्यास) अकोल्ही उर्फ विशुनपुरा, पाण्डेयपुर राधे, गाजीपुर बजरिये प्रबन्धक जयप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम-अकोल्ही उर्फ विशुनपुरा, परगना-पचोतर, तहसील-सदर, जनपद-गाजीपुर द्वारा ग्राम-दामोदरपुर के खाता संख्या-050 के गाटा संख्या-18, रकबा-0.211 हे0 व खाता संख्या-041 के गाटा संख्या-64, रकबा-0.2195 हे0 व खाता संख्या-048 के गाटा संख्या-57, रकबा-0.089 हे0 व गाटा संख्या-58, रकबा-0.037 हे0 व खाता संख्या-021 के गाटा संख्या-53, रकबा-0.044 हे0 व खाता संख्या-049 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.021 हे0 व गाटा संख्या-70, रकबा-0.040 हे0 एवं ग्राम-बरेसर खास के खाता संख्या-0149 के गाटा संख्या-21, रकबा-0.105 हे0 व गाटा संख्या-22, रकबा-0.014 हे0 व खाता संख्या-149 के गाटा संख्या-20, रकबा-0.011 हे0, खाता संख्या-147 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.049 हे0 कुल 11 गाटो में उपलब्ध भूमि रकबा-0.8445 हे0 के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम श्री रामचरित विन्ध्याचल आदर्श शिक्षा (न्यास) अकोल्ही उर्फ विशुनपुरा, पाण्डेयपुर राधे, गाजीपुर कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 26.07.2019 रिपोर्ट दी गयी कि ग्राम-दामोदरपुर के खाता संख्या-050 के गाटा संख्या-18, रकबा-0.211 हे0 व खाता संख्या-041 के गाटा संख्या-64, रकबा-0.2195 हे0 व खाता संख्या-048 के गाटा संख्या-57, रकबा-0.089 हे0 व गाटा संख्या-58, रकबा-0.037 हे0 व खाता संख्या-021 के गाटा संख्या-53, रकबा-0.044 हे0 व खाता संख्या-049 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.021 हे0 व गाटा संख्या-70, रकबा-0.040 हे0 एवं ग्राम-बरेसर खास के खाता संख्या-0149 के गाटा संख्या-21, रकबा-0.105 हे0 व गाटा संख्या-22, रकबा-0.014 हे0 व खाता संख्या-149 के गाटा संख्या-20, रकबा-0.011 हे0, खाता संख्या-147 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.049 हे0 कुल 11 गाटो में उपलब्ध भूमि रकबा-0.8445 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।



(2)

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम-दामोदरपुर के खाता संख्या-050 के गाटा संख्या-18, रकबा-0.211 हे0 व खाता संख्या-041 के गाटा संख्या-64, रकबा-0.2195 हे0 व खाता संख्या-048 के गाटा संख्या-57, रकबा-0.089 हे0 व गाटा संख्या-58, रकबा-0.037 हे0 व खाता संख्या-021 के गाटा संख्या-53, रकबा-0.044 हे0 व खाता संख्या-049 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.021 हे0 व गाटा संख्या-70, रकबा-0.040 हे0 एवं ग्राम-बरेसर खास के खाता संख्या-0149 के गाटा संख्या-21, रकबा-0.105 हे0 व गाटा संख्या-22, रकबा-0.014 हे0 व खाता संख्या-149 के गाटा संख्या-20, रकबा-0.011 हे0, खाता संख्या-147 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.049 हे0 कुल 11 गाटो में उपलब्ध भूमि रकबा-0.8445 हे0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम-दामोदरपुर के खाता संख्या-050 के गाटा संख्या-18, रकबा-0.211 हे0 व खाता संख्या-041 के गाटा संख्या-64, रकबा-0.2195 हे0 व खाता संख्या-048 के गाटा संख्या-57, रकबा-0.089 हे0 व गाटा संख्या-58, रकबा-0.037 हे0 व खाता संख्या-021 के गाटा संख्या-53, रकबा-0.044 हे0 व खाता संख्या-049 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.021 हे0 व गाटा संख्या-70, रकबा-0.040 हे0 एवं ग्राम-बरेसर खास के खाता संख्या-0149 के गाटा संख्या-21, रकबा-0.105 हे0 व गाटा संख्या-22, रकबा-0.014 हे0 व खाता संख्या-149 के गाटा संख्या-20, रकबा-0.011 हे0, खाता संख्या-147 के गाटा संख्या-19, रकबा-0.049 हे0 कुल 11 गाटो में उपलब्ध भूमि रकबा-0.8445 हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मुहम्मदाबाद को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

दिनांक : 30-07-2019


Reader
S D M, Muhammadabad
Ghazipur

